कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर
प्रेस क्लब भवन, तहसील परिसर, बागेश्वर
E-mail-Suchanabageshwar@gmail.com
दूरभाष/फैक्स –05963–221011
मोबाईल नम्बर–, 917055007026

प्रेसनोट

बागेश्वर 04 जुलाई, 2017

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर जिलाधिकारी रंजना ने लोकसूचना अधिकारियों प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासकीय कार्यो में पारदर्शिता लाने हेतु यह अधिनियम लागू किया गया है। जनता के प्रति जबावदेही के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम अच्छे ढंग से लागू हो इसके लिए ब्लाक एवं तहसील स्तर पर भी कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एक्ट के प्राविधानों के अनुसार ही जबाव दें आवेदक को तथ्यपूर्ण सूचना समय पर उपलब्ध करायें ।

उन्होंने कहा कि सभी को अधिनियम का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है जिससे समय की बचत भी होगी और आवेदक को सन्तोषजनक सूचना उपलब्ध हो सकेगी। लोकसूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने के निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि जो भी सूचना दें उसे सोच समझकर सावधानी पूर्वक आवेदक को उपलब्ध करायें।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गणेश दत्त भट्ट,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी धरम सिंह रावत तथा जनशिक्षण संस्थान के निदेशक जितेन्द्र तिवारी ने अधिनियम के उद्देश्य, लोक प्राधिकरण द्वारा लोक सूचना अधिकारी को चिन्हित किये जाने ,सूचना प्राप्त करने,सूचना को आवेदक को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने एवं लोकसूचना अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों के बारे में शुल्क से सम्बन्धित एवं राज्य सूचना आयोग की भूमिका,लोकसूचना अधिकारी के कर्तव्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिनियम की जानकारी पावर प्वाइन्ट के माध्यम से भी दी गई। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनरें द्वारा लोकसूचना अधिकारियों के अनुभवों व सुझावों को साझा करते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया गया।

कार्यशाला में जिला विकास अधिकारी के0एन0 तिवारी,जिला पंचायत राज अधिकारी पूनम पाठक,उपजिलाधिकारी कपकोट रविन्द्र सिंह बिष्ट,काण्डा रिकू बिष्ट,तहसीलदार कपकोट पूरन सिंह बिष्ट,बागेश्वर बहादुर सिंह कुमल्टा,काण्डा मैनपाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी जसवन्त सिंह कण्डारी,जिला सेवायोजन अधिकारी आर0के0 पन्त,जिला समाज कल्याण अधिकारी एन0एस0 गस्याल,सहित समस्त विभागीय लोकसूचना अधिकारी मौजूद थे।

————————

अति0 जिला सूचना अधिकारी
बागेश्वर